Electors Verification Program(EVP)
(मतदाता सत्यापन अभियान)

(दिनांक 01.09.2019 से दिनांक 15.10.2019)

दिनांक 01.09.2019 से दिनांक 30.09.2019 के मध्य सभी बीएलओ अपने मतदान केन्द्र की निर्वाचक सूची का गृहवार सत्यापन करेंगे। इस अवधि में निर्वाचकों द्वारा समर्पित दस्तावेजों का सत्यापन भी बीएलओं द्वारा किया जायेगा।

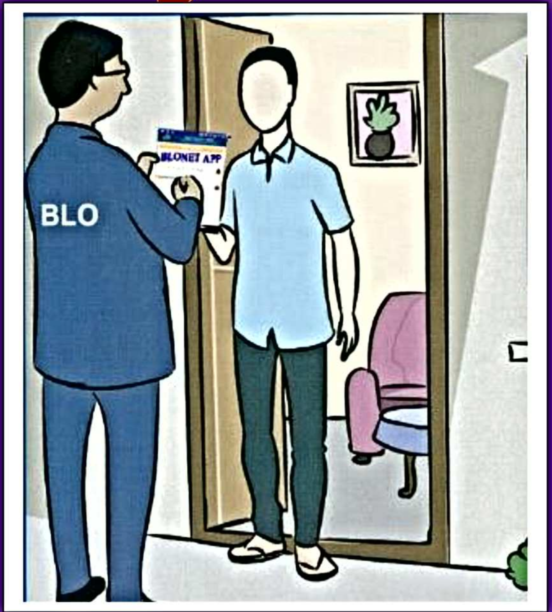

EVP के अंतर्गत गृहवार सत्यापन के क्रम में निर्वाचक त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के सुधार के लिए ऑनलाइन (www.nvsp.in) या ऑफलाइन पद्वति से प्रपत्र–8 दे सकते है।

बीएलओं मृत निर्वाचकों, दोहरी प्रविष्टी तथा अपने निवास से अनुपस्थित निर्वाचकों की जांच करेंगे एवं प्रपत्र 7 प्राप्त कर मतदाता सूची से ऐसे नामों के विलोपन की कार्रवाई करेंगे।

निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता का वेरिफिकेशन पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, शासकीय/अर्द्धशासकीय पहचान पत्र, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेजों के आधार पर किया जायेगा।

नये निर्वाचक नाम जोड़ने हेतु गृहवार सत्यापन के दौरान बी0एल0ओ0 को अपना प्रपत्र–6 दे सकते है या www.nvsp.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं।

शुद्ध मतदाता सूची, पारदर्शी निर्वाचन

निर्वाचक के साथ वास करने वाले परिवार के सदस्य जो योग्य एवं अपंजीकृत हो तथा जिनका जन्म 01.01.2001 या उसके पूर्व हुआ हो तथा वैसे भावी निर्वाचक जिनका जन्म 02.01.2002 से 01.01.2003 के मध्य हुआ हो, उनसे संबंधित सूचना एकत्रित की जायेगी।

EVP कार्यक्रम मतदाताओं की सक्रिय सहभागिता पर आधारित है। निर्वाचक द्वारा निम्न माध्यमों से स्वयं एवं परिवार के अन्य सदस्यों के विवरणों का सत्यापन किया जा सकता है।

1. वोटर हेल्पलाईन मोबाइल एप
2. NVSP पोर्टल
3. कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर
4. निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में स्थापित Voter Facilitation center के माध्यम से

कॉल 1950

मतदाता सहायता केन्द्र –1950 पर कॉल करके भी निर्वाचक द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है एवं अपना फीडबैक भी दिया जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, 7 सरदार पटेल मार्ग, मैंगल्स रोड, पटना–800015